

फा.सं. 10/3/2010-बीओए

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली,
18 जनवरी, 2013

सेवा में,

अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीयकृत बैंक और आईडीबीआई बैंक लि.,

विषय: वर्ष 2012-13 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा।

महोदय,

सरकार के विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकों से अपने इक्विटी (अर्थात् अपनी चुकता पूंजी) के 20% या अपने करोपरांत लाभ के 20%, जो भी अधिक हो, न्यूनतम लाभांश का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई बैंक अंतरिम लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लेता है तो वार्षिक परिणामों के आधार पर बैंक द्वारा दिया जाने वाला कुल लाभांश उपर्युक्त मार्गनिर्देशों के अनुसार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन अनुदेशों के प्रावधानों से किसी भी प्रकार की छूट के लिए सरकार से शीघ्रतापूर्वक विशेष पूर्वानुमति आवश्यक होगी। इन मार्गनिर्देशों को वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश घोषित करने हेतु दोहराया जा रहा है।

भवदीय,

(एम.एम. दौला)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23748731

ई-मेल: boa@nic.in